P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-5 * (Part-1) January- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

डा0 अम्बेडकर और दलित इतिहास का विमुक्ति संघर्ष

सारांश

दलित वह है, जिनका दारूण, दलन, दोहन, शोषण होता रहा है। शोक जिसका आहार, अश्रु जिसका उद्गार, अभिशाप जिसका उपहार, बहिष्कार जिसका सत्कार, बेगार जिसका नित्य त्योहार, दुत्कार, फटकार एवं तिरस्कार जिसका पुरस्कार, दीनता जिसकी गृहिणी, दासता जिसकी भगिनी, अस्पृश्यता जिसकी संगिनी, मौन जिसकी वाणी, क्रंदन जिसकी कहानी और वेदना रानी रही है वह वर्ग दलित है ।

ऐसे शोषित, दमित वर्ग की समस्या को डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर ने सामाजिक यथार्थ के रूप में चित्रित किया । उनकी इस स्थिति के ऐतिहासिक कारण खोजने से ज्ञात होता है कि उनकी पद्धति गांधी एवं अन्य समाज सुधारकों की भाँति नैतिक ह्रदय परिवर्तन पर आधारित नहीं थी बल्कि दलितों व शोषितों के रक्षार्थ आवश्यक संवैधानिक प्रावधान किये जाने पर जोर देती थी। वे हिन्दू धर्म के सम्पूर्ण पक्षों में मानवीय सुधार लाना चाहते थे। समाज व्यवस्था में संशोधन नहीं वरन मौलिक परिवर्तन चाहते थे, जिसमें वर्ण और जाति आधार नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभव की कोई गुंजाइश न हो।

ज्योति टाम्टा
स्हायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
मोतीराम बाबू राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल

मुख्य शब्द : दलित, दारूण, शोषण, बहिष्कार, तिरस्कार, वर्ग, समता।

प्रस्तावना

डा0 अम्बेडकर असाधारण प्रतिभा के धनी एंव एक विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, समाज सुधारक थे। उन्हे बाल्यकाल के दौरान ही जातिगत भेदभाव का समाना करना पडा था। हिन्दू महार जाति से आने वाले उनके परिवार को उच्च वर्गो द्वारा अछूत के रूप में देखा गया था। आपने जीवन पर्यन्त अछूत होने का अपमान सहा। विदेश में अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात डा0 अम्बेडकर ने समाजिक भेदभाव के विरोध में आन्दोलन चलाया। डा0 अम्बेडकर ने श्रमिको,किसानो और महिलाओं के अधिकारो का समर्थन भी किया था डा0 अम्बेडकर स्वंतत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री एवं भारतीय संविधान के निर्माता थे। उन्होनें वयस्क मताधिकार के आधार पर एक एक पूर्ण संप्रभु,लोकतात्रिंक और गणराज्य भारत का निमार्ण किया। वास्तव में डा0 अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है।

अध्ययन का उद्वेश्य

डा0 अम्बेडकर ने अपना जीवन गरीबों, शोषितों,अछूतो और परेशान वर्गो की भलाई के व्यतीत कर दिया। उक्त शोध आलेख में डा0 बी0आ0 अम्बेडकर द्वारा दलितों को समाज की मुख्य धारा में जोडने के प्रयास के महत्तव को प्रस्तुत किया है।

विषय विस्तार

डॉ0 अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई0 में महाराष्ट्र के मऊ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी कपाल था जो 'आर्मी एजुकेशन सर्विस' में प्रधानाध्यापक थे तथा वे महाराष्ट्र की अहार जाति से सम्बन्ध रखते थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई था। डॉ0 अम्बेडकर ने स्वयं अपने सम्पूर्ण जीवन में अनेक बार सामाजिक विभेद, तिरस्कार, दमन, अन्याय, शोषण को सहा था, अतः उन्होंने जीवनपर्यन्त समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। 1920 में डा0 अम्बेडकर ने ''मूकनायक'' नामक मराठी पाक्षिक आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य दलितों में जागृति पैदा करना था। 1923 में डॉ0 अम्बेडकर ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के साथ ही दलित मुक्ति आन्दोलन का परिदृश्य ही बदल गया। डॉ0 अम्बेडकर ने लौकिक धरातल पर एक ब्राह्मण और एक अछूत के बीच समानता की स्थापना के लिए संघर्ष किया।

डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार अछूत के रूप में दलित वर्ग का अस्तित्व समाज रचना की चरम विकृति का द्योतक है। इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा से अलग अन्त्यज, अवर्ण अथवा पंचम वर्ण के रूप में दासतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऐसा ईश्वर ने नहीं किया और यह सनातन धर्म भी नहीं हैं। ये लोग अपनी मर्जी से तो समाज की परिधि के बाहर रहने नहीं आये थे। इन्हें समाज की धारा से अलग करने वाले लोग थे, जिन्होंने उनके अधिकारों को छीनकर अपने अधिकारों में वृद्धि की और शास्त्र, शस्त्र व सम्पत्ति के बल पर उन्हें अन्त्यज की स्थिति में पहुॅचा दिया ।

धर्म के सही स्वरूप को रेखांकित करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने कहा कि ''वह धर्म नहीं मानसिक रूग्णता है जो गन्दे पशु को छूने की सलाह देता है, लेकिन मनुष्य को अछूत कहता है। जाति विशेष को धन, शस्त्र, शिक्षा उपार्जन से वंचित करता है। वह धर्म जो अनपढ़, गरीब को गरीब, बीमार को बीमार तथा मूर्ख को मूर्ख रहने की शिक्षा देता है, वह धर्म नहीं सुनियोजित सामाजिक षड़यंत्र है।'' हिन्दू समाज की दूषित एवं धार्मिक भेदभाव की व्यवस्थाओं के विरूद्व डॉ0 अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों द्वारा सार्वजनिक स्थलों के उपयोग हेतु विभिन्न आन्दोलन किए गए। 1924 में त्रावणकोर स्टेट के दलितों ने वाइकोम मन्दिर के आसपास बनी सड़कों के उपयोग हेतु आन्दोलन किया, जिसमें उनको आंशिक सफलता मिली।

20 जुलाई, 1924 को डा0 अम्बेडकर द्वारा दलितों के हितों के संवर्द्धन हेतु ''बहिष्कृत हितकारिणी सभा'' की स्थापना की गई। 1927 में सार्वजनिक स्थानों से पानी लेने का अधिकार पाने के लिए 18 मार्च, 1927 को महाड़ के कोलाबा जिले में अस्पृश्यों का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें डॉ0 अम्बेडकर ने अध्यक्षीय उद्बोधन ने दलितों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने एवं गन्दी और बुरी आदतें त्यागने हेतु प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा का ही प्रतिफल था कि 2500 अस्पृश्यों में महाड़ के चावदार तालाब पहुँच कर पहली बार इसके पानी का सेवन किया। इस अवसर पर दलितों को मानवागत अधिकारों से वंचित करने एवं कुछ वर्णो के हित संरक्षित करने वाली विधि ग्रन्थ मनुस्मृति का डा0 अम्बेडकर ने विरोध किया और उसे सार्वजनिक रूप से जलाया गया।

3 अप्रैल, 1927 को डा0 अम्बेडकर ने मराठी के पाक्षिक 'बहिष्कृत भारत' का प्रकाशन आरम्भ किया। इसी वर्ष अमरावती के अम्बादेवी मंदिर में दलितों द्वारा प्रवेश किया गया। 1928 में डा0 अम्बेडकर द्वारा ''डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसायटी'' (दलित वर्ग की शिक्षा समिति) का गठन किया। इसका उद्देश्य दलितों में शिक्षा का प्रसार करना था। 1929 में दलितों द्वारा बम्बई के गणपति प्रांगण में एवं 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया गया।

भारत के भावी संविधान निर्माण हेतु इंग्लैण्ड में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में डा0 अम्बेडकर ने भाग लिया। 20 नवंबर, 1930 को इस सम्मेलन की बैठक में दलित वर्गो के लिए राजनीतिक सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। डा0 अम्बेडकर ने दलित वर्गो से किए जाने वाले सामाजिक भेदभाव पर अपना पक्ष रखा एवं दलितों के अधिकारों के रक्षार्थ कुछ उपाय एवं शर्ते रखीं। इस गोलमेज सम्मेलन में डा0 अम्बेडकर ने समान नागरिकता व समान अधिकारों को स्वतंत्र उपयोग एवं इनका हनन करने वालों को दण्ड की व्यवस्था और दलितों हेतु पृथक् निर्वाचक मण्डल की बात रखी। दलितों के सामाजिक बहिष्कार एवं अत्याचार के लिए दंड का प्रावधान, विधान मण्डल में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिले, नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा जाए आदि पर भी बल दिया। डॉ0 अम्बेडकर ने अपने प्रभावशली भाषणों द्वारा सम्मेलन में अनुकूल प्रभाव पैदा किया।

गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या हल नहीं हुई, क्योंकि विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि एकमत नहीं हुए। तत्पश्चात् ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मैकडोनाल्ड ने अपना निर्णय दिया जिसे ''साम्प्रदायिक पंचाट'' कहा जाता है। इसमें हरिजनों या दलित वर्गो को एक अलग अल्पमत माना गया। दलितों को अलग चुनाव पद्धति द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इसके अलवा उन्हें साधारण चुनाव क्षेत्रों में भी एक अतिरिक्त मत का अधिकार दिया गया। गॉधीजी ने इसे हरिजनों को हिन्दुओं से अलग करने की कोशिश माना तथा इसके विरूद्ध में 20 सितम्बर, 1932 को आमरण अनशन प्रारम्भ किया। तत्पश्चात् 26 सितंबर, 1932 को पूना पैक्ट हुआ जिसके अन्तर्गत दलितों के पृथक् निर्वाचनों का अन्त किया गया लेकिन उन्हें पहले की अपेक्षा सुरक्षित स्थान दिए गए एवं आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया।

13 अक्टूबर, 1935 को महाराष्ट्र के येवला नगर में अस्पृश्यों का सम्मेलन हुआ। इसमें डा0 अम्बेडकर ने घोषणा की कि ''मैं हिन्दू के घर में पैदा हुआ, क्योंकि यह मेरे हाथ की बात नहीं थी, किन्तु मैं हिन्दू धर्मावलम्बी रहकर नहीं मरूँगा।'' इस सम्मेलन में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि अस्पृश्य समाज हिन्दू धर्म का त्याग कर ऐसा धर्म अपनाएँ जिसमें समाजिक और धार्मिक समता हो।

1937 में दलित वर्गों के हितो के रक्षार्थ एवं पूँजीवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ डॉ0 अम्बेडकर ने ''इडिपेंडेन्ट लेबर पार्टी'' का गठन किया। 1942 के अखिल भारतीय दलित वर्ग के सम्मेलन में भाषण देते हुए डा0 अम्बेडकर ने कहा कि ''खोये हुए अधिकार याचना में नही मिलते, इसके लिए सतत संघर्ष करना होगा। बलि बकरों की दी जाती है सिंह की नहीं।'' 1946 मे कैबिनेट मिशन के आगमन पर डा0 अम्बेडकर ने दलित वर्गों का पक्ष इसके समक्ष रखा। जब भारतीय संविधान निर्माण समिति का गठन हुआ, तब प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर को बनाया गया। डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में भी अस्पश्यता को कानूनन अपराध घोषित किया गया, साथ ही दलित वर्ग के उत्थान हेतु संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान रखा गया।

डा0 अम्बेडकर ने माना कि नागरिक अधिकारों की प्राप्ति से दलितों की केवल लौकिक मुक्ति ही संभव है जो अपने आप में पूर्ण नहीं है, पूर्ण विमुक्ति एवं मानसिक, आध्यात्मिक दासता की समाप्ति हेतु हिन्दू धर्म का परित्याग आवश्यक है। अतः विश्व के प्रमुख धर्मो का डा0 अम्बेडकर ने अध्ययन किया। इस्लाम व ईसाई धर्म के अनुयायियों ने डॉ0 अम्बेडकर को अपनी ओर आकर्षित करने का बहुत प्रयास किया, किन्तु डा0 अम्बेडकर ने पाया कि बौद्ध धर्म ही वास्तविक धर्म की कसौटी पर खरा है, बौद्व धर्म पूर्णतः भारतीय है। गौतम बुद्ध न केवल भारत के उद्धारक थे, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के उन्नायक भी थे। अतः 14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तथा अछूतों में एक नए जीवन का संचार कर उनमे एक नई उमंग पैदा कर दी। 6 दिसम्बर, 1956 को दमन, शोषण, अन्याय के विरूद्ध अनवरत संधर्ष करने वाले महामानव डॉ0 अम्बेडकर इस लोक से विदा हो गये।

निष्कर्ष

उन्नीसवीं सदी के अंतिम चरण में भारतीय आकाश पर अम्बेडकर रूपी एक ऐसे मेघ का अवतरण हुआ जो गरजा भी, बरसा भी। डा0 अम्बेडकर एक महान सामाजिक क्रान्तिकारी भी थे, जिन्होने दलितों को दासता से मुक्ति दिलाई। उनके समाजिक विचारों का केन्द्र बिन्दु मनुष्य रहा। वे किसी विशिष्ट जाति या वर्ण के विरोधी नहीं बल्कि वर्ण और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। समाजिक स्तर पर उनका मानना था कि वर्ण एवं जाति व्यवस्था की समाप्ति और अन्तरजातीय विवाह से ही अछूतोद्धार संभव है। वह आधुनिक भारतीय नागरिक थे, जिन्होने लोगो के सम्रग विकास और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत रत्न डा0 अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षो में देश को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शैक्षिणिक धार्मिक ऐतिहासिक सास्कृतिक साहित्यिक औधौगिक सवैधानिक इत्यादि विभन्न क्षेत्रो में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निमार्ण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संदर्भ सूची

1. *किशोर कुणाल : दलित– देवो भव, प्रथम भाग, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2008, पृ0 1।*
2. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाड़्मय खण्ड–16, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ0 1 (भूमिका)।*
3. *रामगोपाल सिहं : सामाजिक न्याय एवं दलित संधर्ष, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपूर, 1994, पृ0 52।*
4. *द्वारका प्रसाद गुप्ता :महात्मा गांधी और दर्शन,पंचशील प्रकाशन,ज्ञान भारती, दिल्ली,1984,पृ0 118–119।*
5. *शमशेर सिहंः अम्बेडकर आन बुद्विस्ट कन्वेनशन एण्ड इट्स इम्पैट, पृ0 185।*
6. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाड़्मय, खण्ड–10, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ0 154।*
7. *एन0डब्लू0 कुबेरः आधुनिक भारत के निर्माता भीमराव अंबेडकर,प्रकाशन विभाग दिल्ली,1990,पृ0 68।*
8. *सकुन पासवान प्रज्ञाचक्षु : केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं, अम्बेडकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ0 198, 200।*
9. *रामगोपाल सिंह : भारतीय दलितों की सम्स्याएं एंव उनका सामाधान,मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमीः भोपाल 1986,पृ078–79।*
10. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाड़्मय, खण्ड–5, समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, 2013, पृ0 63।*
11. *कंवल भारतीः दलित विमर्श की भूमिका,इतिहास बोध प्रकाशन,इलाहाबाद,2004,पृ0–88।*
12. *आर0 सी0 अग्रवाल : भारतीय संविधान का विकास एवं राष्ट्रीय आन्दोलन, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0, नई दिल्ली, 1998, पृ0 261।*
13. *सकुन पासवान प्रज्ञाचक्षु : केवल दलितों के मसीहा नहीं हैं अम्बेडकर, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011, पृ0 202।*
14. *राजकिशेर : दलित राजनीति की समस्याएँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृ0 11।*
15. *सूर्य नारायण रणसुभे : डॉ0 बाबासाहेब अम्बेडकर, राधाकृष्ण प्रकाशन , नई दिल्ली, 2006, पृ0 133।*
16. *माधवानन्द सारस्वत : भारत के ज्ञान पुंज डॉ0 भीमराव अम्बेडकर, प्रियंका प्रकाशन, पिलानी, 2008, पृ0 164।*
17. *प्रताप चौधरीः डा0 अम्बेडकर और दलित चेतना,विश्व भारती प्रकाशन,नई दिल्ली,2015,पृ0 11।*
18. *राम आहुजाः भारतीय समाज,रसवत पब्लिकेशन जयपुर ,2000, पृ0273–274।*